तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2026	मृतक वादी भागचन्द जैन के विधिक वारिसान के अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 6 की ओर से अधिवक्तागण श्री अजय त्रिपाठी व श्री मनीष शर्मा उपस्थित। अधिवक्ता श्री अजय त्रिपाठी ने मुख्तयारनामा आम दिनांक 11.01.2014 की फोटो प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली रहे। मृतक वादी भागचन्द के विधिक वारिसान वादीगण निर्मल जैन, अरूण जैन व तरूण जैन स्वयं एवं श्रीमती श्वेता उर्फ सुधा व सोनिया जैन जरिये मुख्तयारआम श्री तरूण जैन उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 क्रमशः सुनील पंजाबी, अमन व संजय शर्मा स्वयं उपस्थित। शेष प्रतिवादी संख्या–1 अक्षय सिंह व संख्या–6 राजेश जरिये वी.सी. उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 हरीश कुमार जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर श्री कपिल भाटिया उपस्थित। उभय पक्षकारान की ओर से लोक अदालत की भावना से संयुक्ततः राजीनामा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो विवाद निहित था, के संबंध में राजीनामा में अंकितानुसार विवाद का निस्तारण जरिये राजीनामा किया गया है। पक्षकारान के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है। अतः राजीनामा के आधार पर उक्त वाद का निस्तारण किया जावें। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा की इबारत उपस्थित पक्षकारान को पढ़कर सुनाई व समझाई गई, जो सुन समझकर उभयपक्षों ने स्वैच्छा से सही होना स्वीकार किया। प्रार्थना–पत्र की पुश्त पर पृथक से राजीनामा तस्दीक किया गया, जो शामिल पत्रावली रहे। दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों की ओर से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने से, पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया गया। पक्षकारान की ओर से निवेदन किया गया कि वाद में वर्णित विवाद बिन्दुओं के सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है और पक्षकारान के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं होना बताया गया है। पक्षकारान लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर वाद का निस्तारण करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जरिये राजीनामा वाद का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। राजीनामा से तृतीय पक्षकार के हित प्रभावित नहीं होंगे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अधिवक्ता वादीगण ने वाद में प्रस्तुत न्यायशुल्क लौटाये जाने का निवेदन किया है, जिस पर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अनापत्ति प्रकट की है। अतः आदेश दिया जाता है कि वादीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायशुल्क उन्हें नियमानुसार लौटाया जावे। डिक्री पर्चा राजीनामानुसार मुर्तिब किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (विक्रान्त गुप्ता) जिला न्यायाधीश, अजमेर	

19.05.2026

मृतक वादी भागचन्द जैन के विधिक वारिसान निर्मल जैन, अरूण जैन व तरूण जैन मय अधिवक्ता उपस्थित। श्रीमती श्वेता उर्फ सुधा व सोनिया जैन जरिये मुख्तयारआम श्री तरूण जैन उपस्थित प्रतिवादीगण सुनील पंजाबी, अमन व संजय शर्मा मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी हरीश कुमार जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर श्री कपिल भाटिया मय अधिवक्ता उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण अक्षय सिंह व राजेश जरिये वी.सी. उपस्थित। उभय पक्षकारान की ओर से राजीनामा का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। उपस्थित वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने की। उपस्थित प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा व श्री अजय त्रिपाठी ने की। वी.सी. से उपस्थित प्रतिवादीगण अक्षय सिंह व राजेश की पहचान अधिवक्ता श्री अजय त्रिपाठी ने की। प्रतिवादी हरीश कुमार के पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर श्री कपिल भाटिया की पहचान अधिवक्ता श्री अजय त्रिपाठी ने की। उभय पक्षों को राजीनामे की इबारत पढ़कर सुनाई व समझाई गई, जो उन्होंने स्वेच्छा से सही होना स्वीकार किया एवं वाद में वर्णित विवाद बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई विवाद शेष नहीं होना प्रकट किया। साथ ही उक्त वाद का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन किया। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल पत्रावली रहे।

(विक्रान्त गुप्ता)
जिला न्यायाधीश, अजमेर